न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति डिकोली तहसील सपोटरा जरिये अध्यक्ष गुड्डी देवी पत्नि छुट्टन लाल जाति मीना निवासी डिकोली कलां तहसील सपोटरा जिला करौली
– अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली – रेस्पोण्डेण्ट

<u>अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली निर्णय दिनांक 28.08.2019 प्रकरण संख्या 155 / 2019 सरकार बनाम अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति डिकोली एक्ट</u>

निर्णय

दिनांक 11.11.2019

यह अपील अपीलाण्ट की ओर से वकील अपीलाण्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जबाव पर बिना गौर करे ही निर्णय पारित किया गया है जो कि दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा सूची लगी हुई थी और पोश मशीन में कार्बन रोड खराब हो गई जिस कारण से पर्ची नहीं निकल रही थी। मशीन ठीक होने पर पर्ची सभी को दी गई। प्रथम मासिक सप्लाई में 3 क्विंटल गेंहू कम भेजे थे जिसकी रसीद जबाव के साथ प्रस्तुत कर दी तथा 2 क्विंटल 4 किलो गेंहू गाडिया लौहारो की बुजुर्ग दादीमां के निधन होने पर उनके परिवार वालों को गेंहू अग्रिम दे दिया गया था उनके नाम व हस्ताक्षर जबाव के साथ पेश किये गये है साथ ही केरोसीन गोदाम के जगह के अभाव में गोदाम के बगल वाले कमरे में रखा था जो अगले माह वितरण कर स्टॉक दे दिया गया है। चीनी का स्टॉक 17.4 किलोग्राम माह अगस्त 2016 को वितरित कर दिया गया है। इसलिये चीनी अधिक वितरित हो गई थी। अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

बहस उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपने बहस कथन में अपीलमीमो को दोहराते हुये कथन किया है कि मौके पर सभी सामग्री उपलब्ध थी। गाडी लौहारो के बूढी दादीमां का निधन होने पर उनको गेंहू 2 क्विंटल 4 किलो अग्रिम दे दिया गया था जिसके कारण मौके पर कम मिला है। उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी वस्तुओं का समय पर वितरण किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती जा रही हैं। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा है कि मौके पर निरीक्षण दौरान प्रवर्तन निरीक्षक को खाद्य सामग्री भौतिक सत्यापन करने पर कमी पायी गयी तथा

उपभोक्ताओं को सही प्रकार से सामग्री का वितरण नही किया जा रहा है। प्राधिकारपत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने दिनांक 13.06.2019 को ग्राम पंचायत सपोटरा की उचित मूल्य दुकान अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति डिकोली कलां की जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को निरीक्षण के दौरान पाये गये अनियमितता के संबंध में सुनवाई का नोटिस दिया गया था जिसके जबाव में अपीलाण्ट द्वारा अपने सभी बातें जो की अपील मीमों में रखी गयी थी किन्तु दौराने निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्र गवाही मौके पर नही ली गई है जिससे अपीलाण्ट द्वारा गाडी लौहारो को अग्रिम गेंहू देने एवं गोदाम में जगह के अभाव में केरोसीन बगल के कमरे में रखना सही साबित होना प्रतीत हो रहा है। हम अपीलाण्ट के कथनों से सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी करौली को पत्रावली इस रिमाण्ड के साथ प्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट को विधिवत् सुना जावें एवं मौके पर तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः सुनवाई करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: